

02/9/2020

पत्रपत्नी के साथ हुए अश्लेषता वाली उपासिका
 अश्लेषता वाली द्वारा दिनांक 17/6/2020
 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 8 किया।
 एवं धारा 151 जा. ही. एन. ए. पत्र आदेश
 07 किया। 11 जा. ही. के जवाब शामिल
 पत्रपत्नी किए जाये। अश्लेषता उत्तरिणी
 अनुयायिका / आज तक उनके घर में भी
 प्रतिवारी अश्लेषता अश्लेषता उत्तरिणी उपासिका
 नहीं हुए। अश्लेषता वाली आज प्रार्थना
 पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त
 अश्लेषता के प्रकार से लोक अदालत
 22/8/2020 को न्यायालय जिला न्यायाधीश
 चित्तौड़गढ़ के यही प्रकटांक के मध्य चलने
 रहे प्रकटांक का शरीरामा हो जाने के कारण
 इस प्रकटांक में कोई कार्यवाही अश्लेषता
 नहीं रहती है। अतः वरीचर को कार्यवाही
 नहीं चाहते हैं। विज्ञा करा है प्रार्थना पत्र
 शामिल पत्रपत्नी के किया जाये। यदि
 वाली प्रकटांक में कोई कार्यवाही नहीं
 चाहते हैं अतः प्रार्थना पत्र लीकर
 किया जाकर प्रकटांक विज्ञा में शरीरामा किया
 जाता है। पत्रपत्नी के नाम शुभारंभ होकर
 नाम से कसे है।

प्रार्थना
 पत्र (10)
 29/20

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
 सहायक कलेक्टर एवं
 उपसचिव अधिकारी
 चित्तौड़गढ़ (राज.)

